बिहार सरकार

भागलपुर समाहरणालय

(जिला सामान्य शाखा)

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>भागलपुर जिला के लिए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना :-</u>

आसन्न बिहार विधान सभा चुनाव-2020 के अवसर पर शांतिपूर्ण स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण मे चुनाव सम्पन्न कराने हेतु शस्त्र नियमावली 1962 के नियम 63 एवं 9 के तहत भागलपुर जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र/कारतूसो का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन प्रतिनियुक्त निरीक्षी दण्डाधिकारी एवं थानाध्यक्ष द्वारा दिनांक-01.09.2020 से 05.09.2020 तक दैनिक कार्यावधि मे किये जाने हेतु निदेशित किया गया था। वर्त्तमान में बहुत से वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी है जो कतिपय कारणों से अपने शस्त्र का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन अबतक नहीं करा सके है। उनके लिए एक अंतिम अवसर देते हुए **दिनाक-21.09.2020 से 25.09.2020 तक** प्रतिनियुक्त निरीक्षी दण्डाधिकारी एवं थानाध्यक्ष द्वारा शस्त्र सत्यापन कराने हेतु पुनः तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः सभी अनुज्ञप्तिधारियो को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने थाना क्षेत्र मे निर्गत शस्त्र/कारतूसो का भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि पर निरीक्षण/भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने की स्थिति में समझा जायेगा कि उन्हें इस संदर्भ में कोई अभिरूची नही है। तत्पश्चात् वैसे अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द करने की विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
-सह-जिला दंडाधिकारी, भागलपुर

PR- 006985 (District) 2020-21

नोवल कोरोना के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं सहयोग हेतु 24X7 Toll Free No.: **104** पर संपर्क कर सकते है।

किसी भी तरह आपदा की जानकारी अथवा सुझाव हेतु आपदा प्रबंधन के हेल्पलाइन नं. 1070 पर सम्पर्क किया जा सकता है।